कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 116–120 / 14 तिथि–11 / 01 / 2017

श्री सूर्यदेव राय एवं अन्य चार बनाम कार्यक्रम पदा0, मड़वन।

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

श्री सूर्यदेव राय एवं अन्य चार ग्राम पंचायत राज, रूपवारा, मडवन द्वारा दिनांक–22.09.2014 को एक परिवाद दायर किया गया। इसमें मजदूरों द्वारा दिनांक–11.05.2012 से 12.12.2012 तक किए गए कार्य का मजदूरी भुगतान लंबित रहने, ओवर टाईम का पैसा बकाया रहना एवं वृक्षारोपण के तहत लगाए गए पौधों की रखवाली का अतिरिक्त भुगतान लंबित रहने का आरोप लगाया गया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि वनपोषको का मजदूरी मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक के संयुक्त खाते में जमा होता है।

इसके आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, मड़वन, मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक, रूपवारा को नोटिस जारी कर जवाब मांगी गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी, मड़वन ने अपने पत्रांक–256 दिनांक–16.12.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि परिवादी के द्वारा दर्शाए गए अवधि में योजना का संचालन नहीं हुआ है। वृक्षारोपण योजना 30.08.2009 से शुरू हो कर तीन वित्तीय वर्ष के बाद 22.07.2012 को बंद हो गई। अंतिम सत्र में जो मजदूर कार्यरत थे उनका भुगतान उनके खाता में चेक के द्वारा डाकघर में भेज दी गयी है। परिवादी मजदूर योजना के अंतिम सत्र में कार्यरत नहीं थे तथा उनके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। मनरेगा के अंतर्गत लगाए गए वृक्ष के लिए निर्धारित रखवाली का समय सीमा नहीं था और न ही उनसे अतिरिक्त मजदूरी कराई गयी है। साथ ही छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। मनरेगा में वनपोषक का भुगतान समय के आधार पर नहीं बल्कि कार्य के आधार पर किया जाता है। मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक को मजदूरी जमा करने का कोई खाता नहीं होता है। यह गतल आरोप है कि उक्त खाते से मजदूरी का पैसा निकासी कर ली गयी है। विदित हो कि पंचायत स्तर पर मनरेगा का खाता एक होता है जिसका संचालन मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है एवं मनरेगा के सभी भुगतान उसी खाता से चेक द्वारा डाकघर के माध्यम से किया जाता है। मनरेगा नियमावली के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक मजदूर को 100 दिन का रोजगार ही उपलब्ध कराया जाना है एवं योजनाओं पर कार्यरत मजदूरों को 'ओवर टाईम' नहीं दिया जाता है। इस योजना के नियम के अनुसार मिट्टी कटाई या अन्य कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही एक मानव दिवस का भुगतान किया जाएगा। भुगतान के संबंध में भुगतान विवरणी (वित्तीय वर्ष–2011–12) का एडवाईस की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या सभी मजदूरों को उनके द्वारा किए गए कार्य का मजदूरी भुगातन हो गया है ? क्या मनरेगा में ओवर टाईम का एवं वनपोषकों को लगाए गए पौधों के देख–भाल के लिए अलग से अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है?

–: निष्कर्ष :–

कार्यक्रम पदाधिकारी, मड़वन द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मजदूरों के निर्धारित अवधि का भुगतान किया जा चुका है। मनरेगा में ओवर टाईम एवं लगाए गए पौधों के देख–भाल के लिए अलग से अतिरिक्त भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार यह परिवाद खारिज करने योग्य है।

–: आदेश :–

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है।

ह/०
लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 05 / मुज0,दिनांक– 11 /01/2017

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :– संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र 11/01/2017
11.1.17
लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

D/DRDA/Damodar/Lokpal app...